



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/स्था-पद/2018/758 जयपुर दिनांक: 08/03/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद बीकानेर/
दौसा/सीकर

विषय:- कार्मिको के स्थानान्तरण/पदस्थापन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी अधीन कार्यरत निम्न कार्मिको के स्थानान्तरण संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुये तत्काल आदेश जारी कर पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	कहां से	कहां को
1	चन्द्रकान्त सोनी, ग्राम विकास अधिकारी	ग्रा.प.सिंथल, प.स. बीकानेर	ग्रा.प.नापासर, प.स. बीकानेर
2	भागीरथ आचार्य ग्राम विकास अधिकारी	ग्रा.प.नापासर, प.स. बीकानेर	ग्रा.प.सिंथल, प.स. बीकानेर
3	बाबूलाल जागा ग्राम विकास अधिकारी	प.स. लवाण (दौसा)	प.स.लालसोट (दौसा)
4	नेकीराम ग्राम विकास अधिकारी	प.स.खण्डेला (सीकर)	ग्रा.व.करड, प.स. दांतारामगढ (सीकर)
5	मंगल सिंह मीणा कनिष्ठ सहायक	प.स. बांदीकुई (दौसा)	प.स.लालसोट (दौसा)
6	लेखराज शर्मा कनिष्ठ सहायक	प.स.सिकराय (दौसा)	प.स.लालसोट (दौसा)

नोट :-

1. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिको का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान कर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है, तो उक्त आदेश संबंधित कार्मिक पर प्रभावी नहीं होंगे।
3. उक्त आदेश परीवीक्षाधीन कार्मिको पर प्रभावी नहीं होंगे।
4. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है, तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें।

11
8/3/2019
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त